

प्रेस नोट संख्या- 47

दिनांक 24.09.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

“ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत थाना जायस पुलिस द्वारा 30 ग्राम स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में संदिग्धों की चेकिंग एवं अपराध व अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत दिनांक 23.09.2026 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना जायस पुलिस द्वारा अभियुक्त एजाज पुत्र अनवर निवासी निखैया जेर मस्जिद थाना जायस जनपद अमेठी उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुआ । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना जायस पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में जनपद रायबरेली व अमेठी में आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व गोवध निवारण एक्ट की धाराओं कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- एजाज पुत्र अनवर निवासी निखैया जेर मस्जिद थाना जायस जनपद अमेठी उम्र करीब 36 वर्ष ।

बरामदगी-

- 30 ग्राम स्मैक ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 141/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सतीश कुमार दीक्षित थाना जायस जनपद अमेठी ।
2. हे0का0 विपिन कुमार थाना जायस जनपद अमेठी ।
3. का0 वीर प्रताप सिंह थाना जायस जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 185/18 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0, 11 क, घ, च पशु क्रूरता अधि0 7 सीएलए एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 249/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जायस जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 84/20 धारा 188, 269 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जायस जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 196/20 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना जायस जनपद अमेठी ।
5. मु0अ0सं0 260/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि0 थाना जायस जनपद अमेठी ।
6. मु0अ0सं0 09/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी ।
7. मु0अ0सं0 350/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी ।
8. मु0अ0सं0 10/25 धारा 60 EX. ACT थाना जायस जनपद अमेठी ।
9. मु0अ0सं0 260/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली ।
10. मु0अ0सं0 311/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि0 थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली ।